कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री एम0आर0ट्रेडर्स, बी-32/14जे ,साकेत नगर, वाराणसी ।**

प्रा0प0सं0- **313/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री आर0के0शुक्ला,फर्म मैनेजर ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 24-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें पेपर नैपकीन एवं टीसू रोल(टायलेट) पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- एडिशनल कमिश्नर,ग्रेड-1,वाणिज्य कर,वाराणसी से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि पेपर नैपकीन एवं टीसू रोल को टायलेट गुड्स की श्रेणी में माना गया है। प्रार्थी द्वारा भी इसे टायलेट गुड्स कहा गया है। अतः टायलेट गुड्स वैट अधिनियम की अनुसुची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री आर0के0शुक्ला,फर्म मैनेजर उपस्थित हुयें व व उन्होनें उक्त जानकारी देने का अनुरोध किया ।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का परिशीलन किया। पेपर नैपकीन एवं टीसू रोल वैट अधिनियम की अनुसुची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 11,अगस्त ,2008

ह0 11.8.08

(दीपक कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि